

न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सीवर, आर०ए०एस०
राजस्व प्रा० पत्र सं० : 170/2019 (7/2019)

GCMS NO. : 2019/00002

-:: प्रार्थीगण ::-

बनाम

-:: अप्रार्थीगण ::-

1. मदनलाल पुत्र स्व० चम्पालाल
2. सुनिल पुत्र स्व० चम्पालाल
3. लाडूई पत्नि स्व० चम्पालाल
जातियान मेघवाल निवासीगण
घोड़ावड तहसील जैतारण जिला
पाली।

1. रामा उर्फ रामाराम पुत्र लाबूराम
जाति मेघवाल निवासी घोड़ावड
तहसील जैतारण जिला पाली।
2. तहसीलदार जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955


तारीख रजु: 25/09/2019

उपस्थित: 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

-:: निर्णय :

दिनांक: 30/07/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत इस आशय का पेश किया कि सायलान एवं गैरसायलान संख्या 01 की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा घोड़ावड, पटवार हल्का घोड़ावड तहसील-जैतारण जिला पाली में स्थित खसरा नंबर 331 रकबा 58 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी अक्वल की आयी हुई है। जिसमें 1/2 वां हिस्सा सायलान का है। तथा शेष 1/2 वां हिस्सा गैरसायलान संख्या 01 का है। उक्त भूमि की चालू जमाबंदी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से सुविधा की दृष्टि से जाना जायेगा। विवादित भूमि में सायलान गैरसायलान संख्या 01 के अलावा शांति बेवा लाबूराम का नाम भी दर्ज है, जो सायलान संख्या 01 व 02 की सगी दादी है इस प्रकार से शांति बेवा लाबूराम जी के कुल 02 विधिक वारिसान गैरसायलान संख्या 01 रामा जी व सायलान के पिता व पति चम्पालाल जी है, जिनमें से चम्पालाल जी का देहान्त हो जाने से सायलान उनके विधिक वारिसान है, शांति बेवा लाबूराम जी का देहान्त लगभग 01 वर्ष पूर्व हो गया है, उनके देहान्त हो जाने के बाद अभी तक नामान्तरणकरण की कार्यवाही नहीं हुई है। शांतिदेवी के 1/2 वे हिस्से की भूमि के विधिक वारिसान सायलान के होने एवं शेष 1/2 हिस्से के गैरसायलान संख्या 01 के विधिक उत्तराधिकारी होने से इसी माफिक सायलान अपने खातेदारी हक व अधिकारों की घोषणा करवाने व राजस्व रेकॉर्ड में इसी माफिक अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। विवादित भूमि में सायलान का 1/2 वां हिस्सा है। शेष 1/2 वां हिस्सा गैरसायलान संख्या 01 का है। उक्त भूमि मौके पर पक्षकारों के बीच


सहायक कलक्टर

(फास्ट ट्रेक) जैतारण

आपसी सहमति से अलग-अलग बंटी हुई है लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में शामिल की जा रही है। उक्त सामलाती राजस्व रेकॉर्ड में भूमि दर्ज होने की वजह से गैरसायलान संख्या 01 व उसका पुत्र आये दिन इस भूमि के नाप-चौप सीमा व माठ को लेकर सायलान से विवाद करते रहे हैं। गैरसायलान संख्या 01 व उसके पुत्र ने दिनांक 20/12/2018 को सायलान को एलानिया कथन किया कि इस वर्ष तो खरीफ यानि ज्वार व मूंग की फसल में आप लोगो ने अपनी काशत करते हुये फसल ले ली है लेकिन अब दुबारा इस खेत में हम तुम्हें कोई फसल नहीं बौने देगें एवं मौके पर नाप, माठ व सीमाओं को लेकर भी विवाद किया, जिस पर सायलान ने गैरसायलान संख्या 01 व उसके पुत्र से समझाईश भी की, लेकिन वह नहीं माने एवं मौके पर नाप चौप करवाकर बाद नाप चौप के बंटवाड़ा करवाने से भी इन्कार कर दिया है। जबकि सायलान अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने के विधिक अधिकारी है। इस बाबत् सायलान ने गैरसायलान से कई बार कहा है लेकिन गैरसायलान नहीं मान रहे है तथा विवाद कर रहे है तब ऐसी परिस्थितियों में सायलान के पास अदालत श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से प्रार्थना पत्र बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के सादर पेश है। इस प्रकार से यदि उक्त गैरसायलान सायलान को लाठी लकड़ी के बल पर इस विवादित भूमि से बेकाबिज कर देते हैं तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। साथ ही सायलान इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में गैरसायलान के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेंगे। जिससे विवाद बढेगा एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायलान के पास अदालत श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों परिस्थितियों एवं दस्तावेजात के यह है आधार सायलान का प्रथम दृष्टिया बहुत ही मजबूत मामला है यदि इस प्रकरण में किसी प्रकार का स्थगन जारी नहीं किया जाता है। तो सायलान अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में है। मौके पर गैरसायलान सायलान को उनके हक हिस्से की आराजी से बेदखल करने को आमादा है। इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का बहक सायलान गैरसायलान के विरुद्ध पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के इस आशय का जारी फरमावे कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित विवादित भूमि खसरा नम्बर 331 रकबा 58 बीघा 01 बिस्वा मौजा घोड़ावड़, पटवार हल्का घोड़ावड़ तहसील जैतारण जिला-पाली की भूमि पर सायलान बतौर खातेदार काशतकार काबिज होकर काशत करे, काशत के मुतालिक कार्य करवावे तो उसमें गैरसायलान स्वयं एवं उनके पारिवारिक सदस्य हाली एजेन्ट, रिश्तेदार आदि किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलअंदाजी नहीं करें, न ही कोई बाधा व अड़चन ही पैदा करें। ऐसा करने से

9
 सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक के लिये रोका जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल 01 को बार-बार रूक-रूक कर आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना तामिल के अनु० रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकील वादीगण राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है:-

1. **प्रथम दृष्टया मामला:-** प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। जमाबंदी संवत् 2073-2076, ग्राम घोडावड, पटवार हल्का घोडावड, तहसील जैतारण से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। सामान्य सिद्धान्त यह है कि एक सह-अभिधारी (संयुक्त) का जोत के प्रत्येक इंच पर स्वामित्व एवं कब्जा माना जाता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वादग्रस्त आराजी में केवल प्रार्थीगण के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया मामला है। लिहाजा यह बिन्दु बखूबी साबित नहीं होता है।
2. **सुविधा का संतुलन:-** साधारणतया: वादग्रस्त आराजी के वर्तमान उपभोग/उपयोग का लाभार्थी महत्वपूर्ण होता है। बिन्दु संख्या 01 के विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सह-खातेदारी की संयुक्त भूमि है। अतः ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक सह-अभिधारी का अपने हिस्से में सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थीगण के पक्ष में ही निहित है। फलतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना साबित नहीं होता है।
3. **अपूरणीय क्षति:-** चूंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। साथ ही चूंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी भी सह-खातेदार है तथा प्रत्येक सह-खातेदार को अपने खातेदारी अधिकार का उपयोग एवं उपभोग करने का प्राथमिक अधिकार होता है। लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरुम होना पडेगा। जिससे अपूरणीय क्षति अप्रार्थी को होना संभव है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।


 सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अन्तर्गत धारा- 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।




सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 30/07/2021 को सर ए-इलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला-पाली (राज.)